HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 10481/2026
URN: CRLMB / 19437U / 2026

Saddam S/o Sourab, R/o Village Doshras, Police Station Goverdhan, District Mathura, State Uttar Pradesh. (At Present In Sub Jail Kaman, Deeg).

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Vikram Singh Chauhan, Adv. Mr. Anil Agrawal, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Amit Kumar Gupta, Addl. GA Mr. Devi Singh, Dy. GA

HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL

Order

13/07/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना– जुरहरा, जिला– भरतपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 269/2018 अपराध अन्तर्गत धारा 143, 323, 342, 382, 420, 364–ए, 307 भारतीय दंड संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त पूर्णतयाः निर्दोष है, उसे इस प्रकरण में झूठा संलिप्त किया गया है। उनका कथन है कि प्रकरण में अन्य सहअभियुक्त लीला उर्फ खुर्शीद की जमानत इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19.06.2024 को ली जा चुकी है, जिसका प्रकरण प्रार्थी/अभियुक्त के प्रकरण से भिन्न नहीं है। उनका यह भी कथन है कि प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 30.05.2026 से अभिरक्षा में चल रहा है, उसके विरुद्ध धारा–299 दंड प्रक्रिया संहिता में आरोप पत्र प्रस्तुत होकर, अनुसंधान शेष नहीं है। उनका यह भी कथन है कि पत्रावली पर उसके विरुद्ध

पूर्व में दोषसिद्धि की साक्ष्य भी नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए उसे अस्वीकार करने की प्रार्थना करते हुये प्रार्थी/अभियुक्त का प्रकरण अन्य सहअभियुक्त लीला उर्फ खुर्शीद, जिसकी जमानत इस न्यायालय द्वारा पूर्व में ली जा चुकी है, के समान होना स्वीकार किया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए मैं प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता हूँ।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **सद्दाम पुत्र सौराब** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(BHUWAN GOYAL),J

MOHIT/ 26